

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

प्र.का./01/परिचालन/2025-26/42

दिनांक: 09-05-2025

परिपत्र समस्त शाखाओं/कार्यालयों हेतु
प्रधान कार्यालय के परिचालन विभाग द्वारा जारी

महोदय/महोदया,

विषय: जमा खाता धारक की मृत्यु उपरान्त खातों में अवधेश राशि के भुगतान सम्बन्धी नीति/दिशा-निर्देश।

पूर्ववर्ती बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, और आर्यावर्त बैंक का समामेलन कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। नए बैंक में एकरूपता के दृष्टिगत Steering Committee द्वारा जमा खाता धारक की मृत्यु उपरान्त खातों में अवधेश राशि के भुगतान सम्बन्धी नीति को अनुमोदित किया गया है, जिसको परिपत्र के साथ संलग्नित किया गया है।

इस सम्बन्ध में शाखाओं को निर्देशित किया जाता है कि नीति के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इसका विशेष ध्यान दें कि नये बैंक में ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

शाखाओं की सुविधा एवं एकरूपता के दृष्टिगत ग्राहकों से लिए जाने वाले आवेदन पत्र (बिना नामांकन एवं नामांकन युक्त अवधेश के लिए) की प्रति संलग्नित है।

कृपया परिपत्र की विषयवस्तु को शाखा/ कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के संज्ञान में लायी जाये तथा उपरोक्त का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(घनश्याम सिंह)

महाप्रबन्धक

✓

अनुलग्नक: जमा खाता धारक की मृत्यु उपरान्त खातों में अवधेश राशि के भुगतान सम्बन्धी नीति अनुमोदित नीति एवं वर्णित आवेदन पत्र प्रारूप।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

Document Information

Document Name	POLICY ON OPERATIONAL PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF CLAIMS IN DECEASED/MISSING DEPOSITORS' ACCOUNTS
Document ID	
Document Owner	Operation Department
Document Version No.	01
Document Version Date	
Prepared By	Functional Committee
Reviewed By	Steering Committee
Approved By	Hon'ble Board

Distribution List

Version No.	Name	Designation	Department
01	All Personal within Uttar Pradesh Gramin Bank	NA	All Departments, Controlling Offices and Branches



प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमरिंगल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ - 226010
Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010
email- ho@barodauprrb.co.in

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

प्रस्तावना: मृत तथा गुमशुदा व्यक्तियों के जमा खातों की दावा भुगतान नीति का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है ताकि दावेदारों को न्यूनतम असुविधा के साथ उनके द्वारा किये गए क्लेम प्राप्त हो सके। इस नीति की प्रस्तावना मृत या गुमशुदा व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा राशि के दावों के निपटान को सरल समयबद्ध और कानूनी रूप से अनुपालित बनाने के लिए बनाई गई है। इसका लक्ष्य दावेदारों जैसे नामांकित व्यक्ति (नामिनी) कानूनी उत्तराधिकारी या संयुक्त खाता धारक को उचित प्रक्रिया के माध्यम से राशि का भुगतान सुनिश्चित करना है।

खाता धारक की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर शाखाओं द्वारा निम्न कार्यवाही तुरन्त किया जाना

01. सूचना के ब्यौरे एवं स्रोत के बारे में सम्बन्धित खाता खोलने के फार्म तथा नमूना हस्ताक्षर कार्ड में अंकन। कम्प्यूटर सिस्टम में खाते को Freeze कर नोट बुक में Party Deceased लिखना।
02. मृतक के खाता खोलने के फार्म तथा नमूना हस्ताक्षर कार्ड एक अलग फाइल/फोल्डर में शाखा प्रबन्धक/शाखा अधिकारी की अभिरक्षा में रखना।
03. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर, इसे सम्यक रूप में नोट करना तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मूल से मिलान करके शाखा प्रबन्धक अथवा अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके रिकार्ड में रखना।
04. ऐसे चेक, जो जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुए हों, के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की जायेगी:-

- मृत्यु की सूचना मिलने के पश्चात भुगतान के लिए प्रस्तुत चेकों (भले ही वे खाताधारक की मृत्यु से पहले के जारी हों) को “आहर्ता मृतक” कारण का उल्लेख करते हुए लौटाना।
- वैधानिक संस्थाओं यथा आयकर, व्यापारकर, या अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार के कार्यालयों से प्राप्त चेकों का भुगतान करना।
- यदि कोई व्यक्ति आधिकारिक क्षमता (जैसे प्रधानाचार्य, निदेशक, सचिव इत्यादि) में चेक जारी करता है तो बैंक द्वारा चेक का भुगतान करना।

मृतक जमाकर्ता के खाते की शेष राशि का भुगतान

01. उत्तरजीवी / नामिनी अनुदेश युक्त खाता (Account with Survivor / Nominee Caluse)

ऐसे जमा खातों में, जहां जमाकर्ता द्वारा नामिनी (Nomination) सुविधा का उपयोग किया गया है तथा वैध नामिती निर्दिष्ट किया है अथवा जहां खाता उत्तरजीवी अनुदेश (“either or survivor” or “anyone or survivor” or “former or survivor” or “latter or survivor”) के साथ खोला गया है, मृतक जमाकर्ता के खाते की शेष राशि का भुगतान उत्तरजीवी(यों)/नामिती को किये जाने पर बैंक के दायित्वों का विधिमान्य उन्मोचन (Valid Discharge) होगा यदि :-

- (क) बैंक द्वारा उत्तरजीवी(यों)/नामिती की समुचित रूप से सावधानीपूर्वक पहचान तथा खाताधारक की मृत्यु के तथ्य की पुष्टि समुचित दस्तावेजीय साक्ष्य द्वारा स्थापित की गयी है।
- (ख) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं है जो कि बैंक को मृतक खाता धारक के खाते का भुगतान करने से रोकता है।
- (ग) उत्तरजीवी(यों)/नामिती को इस बात की स्पष्ट जानकारी दी गयी है कि वे मृतक खाता धारक के वैधानिक उत्तराधिकारियों के न्यासी (Trustee) के रूप में ही बैंक से भुगतान प्राप्त करेंगे तथा यह भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे उत्तरजीवी(यों)/नामिती के विरुद्ध अधिकारों/दावों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, जिनको बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है।



नामिती अनुदेश (नामांकन) युक्त खातों में भुगतान प्रक्रिया

(अ) नामिती द्वारा शाखा को आवेदन-

(i) नामित व्यक्ति को भुगतान करने से पूर्व बचत खाता पासबुक/आवर्ती जमा पासबुक/सावधि जमा रसीद की मूल प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप पर एक आवेदन प्राप्त करना। नामित व्यक्ति यदि नाबालिंग है तो मृतक खाता धारक द्वारा नामांकन प्रपत्र पर घोषित संरक्षक (गार्जियन) की जांच कर, उनसे आवेदन प्राप्त करना।

नामित व्यक्ति यदि नाबालिंग है तो उसके संरक्षक (जैसा कि नामांकन दस्तावेज में अंकित है) के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ऐसे समुचित साक्ष्य के द्वारा, जो किसी सक्षम न्यायालय में स्थापित (Prove) किये जा सकें। ऐसे संरक्षक से आवेदन प्राप्त करना।

ii) नामांकित व्यक्ति की पहचान

नामांकित व्यक्ति से उसकी पहचान के साक्ष्य स्वरूप के ०वाई०सी० दस्तावेज प्राप्त करें अथवा फोटो, पता तथा हस्ताक्षर निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित कराया जाना।

a. मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी

अथवा

b. केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी

iii) नामिती के मामले में किसी विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो आदेश के अनुसार कार्यवाही करने को बैंक स्वतंत्र होगा।

ब) दावा प्रक्रिया - दस्तावेजों की आवश्यकता (नामिती को भुगतान के मामलों में)

(i) जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र :- शहरी/नगरीय क्षेत्रों के मामलों में नगरपालिका/नगर महापालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ii) निर्धारित प्रपत्र पर विधिवत् रूप से भरा हुआ तथा नामिती (दावेदार) द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित दावा आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(iii) नामिती (दावेदार) की पहचान :- यद्यपि नामिती (दावेदार) की पहचान क्रमांक (अ) (ii) के अनुसार प्राप्त प्रमाण पत्र से हो जायेगी फिर भी बैंक के सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा स्वयं भी स्थल भ्रमण कर नामिती (दावेदार) की समुचित पहचान सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्पष्ट रिपोर्ट लगायी जायेगी कि उनके द्वारा नामिती (दावेदार) की सत्यता की पुष्टि मौके पर जाकर सत्यापित की गयी है।

बैंक द्वारा इन प्रलेखों को शाखा रिकार्ड में दर्ज किया जायेगा तथा जमा खाते में शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान जमा खाते में वांछित अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने/करने पर बैंकर चेक/नामिती (दावेदार) के खाते में धनराशि अन्तरण द्वारा दिया जायेगा।

नोट : यदि पर्याप्त समय बीत जाने पर भी नामित व्यक्ति द्वारा जमा राशि हेतु दावा नहीं किया गया है तो बैंक नामित व्यक्ति को जमाकर्ता की मृत्यु की जानकारी के साथ राशि के दावा हेतु अनुरोध किया जायेगा।

(स) उत्तरजीवी अनुदेशयुक्त खातों में भुगतान प्रक्रिया



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

उत्तरजीवी अनुदेश युक्त खातों में किसी एक की मृत्यु की दशा में खाते/खातों में अवशेष राशि के भुगतान हेतु निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे :-

- (i) खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- (ii) उत्तरजीवी(वों) से आवेदन पत्र कि सह खाताधारक की मृत्यु हो गयी है, अतः खाते में अवशेष राशि का भुगतान उसे कर दिया जाये।
- (iii) उत्तरजीवी(वों) की पहचान केवाईसी मानदण्डों के अनुसार भुगतान पूर्व सुनिश्चित की जायेगी।

विशेष : 1) संयुक्त जमा धारकों यदि 'दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' अथवा 'दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी के अधिदेश के साथ सावधि जमा खाता खोला गया है एवं सावधि जमा के संयुक्त जमाधारक एक जमाकर्ता की मृत्यु होने पर दुसरे जमाकर्ता को अपनी सावधि जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आहरण अनुमति देना चाहते हैं तो शाखाएं उक्त आहरण की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे बशर्ते उन्होंने इस प्रयोजन के लिए जमाकर्ताओं से विशेष संयुक्त अधिदेश प्राप्त किया हो।

2) उत्तरजीवी अनुदेश के मामलों में केवल आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा उत्तरजीवी /वों की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात शाखा प्रबन्धक किसी भी धनराशि तक अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे अथवा उत्तरजीवी /वों के अनुरोध पर मृतक का नाम (Delete) कर उत्तरजीवी /वों को खाता संचालन की अनुमति प्रदान करेंगे। अन्य कोई दावा प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

02. **उत्तरजीवी/नामिती अनुदेश रहित खाता (Account without Survivor /Nominee clause)**
ऐसे जमा खातों में, जहां मृतक जमा खाता धारक द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है अथवा ऐसे खाते, जहां उत्तरजीवी अनुदेश उपलब्ध नहीं है, दावेदार/दावेदारों को भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

(अ) जब सभी दावेदार/वारिस बिना किसी विवाद के दावा फार्म, सहमति पत्र तथा क्षतिपूर्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने को सहमत हों-

जब कोई दावा किसी उत्तरजीवी/नामांकन अनुदेश अथवा विधिक प्रतिनिधित्व/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं हो तथा सभी दावेदार/वारिस बिना किसी विवाद के दावा फार्म तथा क्षतिपूर्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने को सहमत हों, दावेदार/वारिस को भुगतान किया जायेगा। ऐसी दशा में बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/विधिक प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेगा, चाहे कितनी भी दावा राशि हो।

दावा प्रक्रिया - दस्तावेजों की आवश्यकता

- (i) जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- (ii) निर्धारित प्रपत्र पर विधिवत् रूप से भरा दावा आवेदन पत्र। (सभी दावेदारों/वारिसों द्वारा हस्ताक्षरित)
- (iii) दावेदार की पहचान (परिवार सदस्यता प्रमाण पत्र/वारिस प्रमाण पत्र) : ग्राम पंचायत अधिकारी, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी (जैसा भी हो) द्वारा जारी परिवार सदस्यता प्रमाण पत्र/वारिस प्रमाण पत्र (अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित) प्राप्त किया जायेगा तथा स्थल का भ्रमण कर बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं भी दावेदार की समुचित पहचान सुनिश्चित की जायेगी तथा भ्रमण रिपोर्ट लगायी जायेगी।
- (iv) अन्य दावेदारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र रु 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी हलफनामा के रूप में



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

लिया जायेगा। (यदि किसी एक को भुगतान करवाना चाहते हैं)

(v) क्षतिपूर्ति पत्र (रु 100/- के स्टाम्प पेपर पर) निर्धारित प्रारूप पर (समस्त दावेदार व श्योरिटीज) द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त किया जायेगा।

(vi) दो जमानतदार/श्योरिटीज द्वारा जमानती पत्र रु 10/- के स्टाम्प पेपर पर प्राप्त किया जायेगा।

(vii) जमानतदारों की साख रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त की जायेगी, जो शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित की जायेगी। रु 100000/-तक की क्लेम राशि के मामले में शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित साख पर्यास होगी परन्तु एक लाख से अधिक की क्लेम राशि के मामलों में शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाण स्वरूप साख हेतु पर्यास दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे। यह भी स्पष्ट करना है कि श्योरिटीज की साख दावा धनराशि की चार गुण से कम नहीं होगी।

(viii) यदि दो श्योरिटीज की साख दावा राशि के चार गुण से कम है तो बैंक के अध्यक्ष/महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक श्योरिटीज की संख्या में वृद्धि करने हेतु अधिकृत होंगे।

बैंक/शाखाओं द्वारा इन प्रलेखों को शाखा रिकार्ड में दर्ज कर जमा खाते में शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान जमा खाते में वांछित अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने/करने पर बैंकर चेक/खाते के माध्यम से किया जायेगा।

(ब) जब दावेदारों/कानूनी वारिसों में विवाद हो और सभी कानूनी वारिस क्षतिपूर्ति करने में सहमत नहीं होते हैं-

जब दावेदार/कानूनी वारिसों में विवाद हो और सभी कानूनी वारिस क्षतिपूर्ति करने में सहमत नहीं होते हैं तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विधिक प्रतिनिधित्व/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र की मांग की जायेगी।

दावा प्रक्रिया - दस्तावेजों की आवश्यकता

(i) जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(ii) बैंक द्वारा निर्धारित दावा फार्म विधिवत् रूप से भरा हुआ तथा दावेदार/दावेदारों/वारिसों द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित होगा।

(iii) सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विधिक प्रतिनिधित्व/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र, जिसकी जांच (Verification) बैंक अधिकृत से करायी जायेगी। (इस हेतु बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क दावेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

(iv) दावेदार/वारिस की पहचान : चूंकि न्यायालय द्वारा जारी विधिक प्रतिनिधित्व/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र से दावेदार/वारिस की पहचान सम्भव नहीं है, इसलिए दावेदार/वारिस की पहचान हेतु साक्ष्य स्वरूप केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करें अन्यथा स्थिति में फोटो, पता व हस्ताक्षर निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित प्राप्त किया जायेगा -

(i) मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी

अथवा

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी

शाखा प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा स्थल का भ्रमण कर स्वयं भी मृतक के दावेदारों/वारिसों की पहचान सुनिश्चित की जायेगी तथा भ्रमण रिपोर्ट लगायी जायेगी।

गुमशुदा व्यक्तियां के खातों की धनराशि का दावा भुगतान-



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 में यह प्रावधान है कि उनकी मृत्यु का अनुमान सामान्तर्या 7 वर्ष की अवधि के बाद ही लगाया जा सकता है, जब तक कि सक्षम न्यायालय के समक्ष उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं की जाती। यदि अदालत यह मानती है गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो अन्य मृतक खाते के भुगतान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति के खाते का भी भुगतान किया जायेगा।

शाखाओं द्वारा इन प्रलेखों को शाखा रिकार्ड में दर्ज किया जायेगा तथा जमा खाते में शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान जमा खाते में वांछित अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने/करने पर बैंकर चेक/खाते के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही भुगतान प्राप्तकर्ता से अवशेष के प्राप्ति की पुष्टि हेतु अलग से रसीद प्राप्त की जायगी तथा सम्बन्धित प्रलेखों के साथ संलग्न की जायेगी।

भुगतान हेतु विवेकाधिकार :

मृतक दावा भुगतान हेतु विवेकाधिकार सीमा बैंक द्वारा समय समय पर जारी Discretionary Administrative Powers के अनुसार होगी।

दावा निस्तारण हेतु समय सीमा :

नोट- मृतक जमा खाते की धनराशि के भुगतान हेतु दावेदारों द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अधिकतम समय सीमा निम्नवत होगी-

1. यदि दावा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत होना है - 15 दिन
2. यदि शाखा द्वारा स्वीकृत होना है - 05 दिन
3. क्षेत्रीय कार्यालय में दावा प्राप्त होने के 3 दिवस के अन्दर उसे निस्तारित कर सम्बन्धित शाखा को प्रेषित किया जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नवत होंगे:

- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति का शाखा प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र पर “मूल प्रमाण पत्र से सत्यापित” लिख कर उस पर शाखा की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र शहरी/नगरीय क्षेत्रों के मामलों में नगर पालिका/नगर महापालिका द्वारा जारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- मृतक द्वारा मृत्यु से पूर्व अपने खाते में जिस निर्देशिती को नामित किया गया है उसकी पहचान करते हुए शेष राशि का भुगतान उसी को किया जायेगा।
- मृतक के खाते में उसकी मृत्यु के उपरान्त भी जमा राशि प्राप्त हो सकती है जिसे पाइप लाइन प्रवाह कहा जाता है। ऐसे मामलों में निम्न बिन्दुओंमें किसी एक के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कि जाये-
 - i. भुगतान प्राप्त करने वाले दावेदार/दावेदारों से शाखा के पक्ष में प्राधिकरणपत्र प्राप्त किया जायेगा कि सम्बन्धित राशि के दावा करने पर उसे बैंक का वापस कर दिया जायेगा अथवा
 - ii. धनराशि प्रेषणकर्ता से इस आशय का पत्र प्राप्त किया जायेगा कि सम्बन्धित राशि मृतक की मृत्यु से पूर्व की है जिसे उत्तराधिकारियों को भुगतान कर दिया जाये अथवा
 - iii. प्रेषणकर्ता को धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- उत्तरजीवियों/नामिती को इस बात की जानकारी दी जायेगी कि कि वे मृत खाताधारक के



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

वैधानिक उत्तराधिकारियों के न्यासी (Trustee) के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त करेंगे तथा यह भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के उत्तरजीवियों/एवं नामिती के विरुद्ध अधिकारों/दावों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

- दावेदार / रों की समुचित रूप से पहचान सुनिश्चित की जायेगी। दावेदार/रों की नवीनतम फोटो (यदि पहचान के लिए आवश्यक हो तो) प्राप्त कर शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- दावेदारों द्वारा प्रस्तुत विधिक प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र की मूल प्रति प्राप्त की जायेगी तथा सत्यता की जांच बैंक अधिवक्ता से करायी जायेगी। इस हेतु बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क का वहन दावेदार/रों द्वारा किया जायेगा।
- क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र द्वारा निर्धारित फार्म के अनुसार समुचित स्टाम्प पेपर पर बनाया जायेगा। स्टाम्प पेपर का व्यय दावेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
- क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र पर सभी दावेदार तथा जमानतदारों (श्योरिटीज) के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- यदि कोई दावेदार अवयस्क है तो उसके पक्ष का भुगतान प्राकृतिक अथवा कानूनी संरक्षक को किया जायेगा।
- भुगतान बैंकर्स चेक/दावेदारों के खाते के माध्यम से किया जायेगा।

मृतक दावा रजिस्टर में तैयार किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:--

क्र० सं०	बचत/ सावधि खाता संख्या	दावेदार का नाम व पता	मृतक से सम्बन्ध	खाते की धनराशि	जमानतदार का नाम व पता	प्रार्थना पत्र के साथ दावा निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेज	स्वीकृत पत्रांक एवं दिनांक	भुगतान का प्रकार	भुगतान की तिथि	प्रबन्धक/ अधिकारी के हस्ताक्षर
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
						1. 2.				

- जब कभी ऐसे खाते बन्द किए जाते हैं और शेष राशियां मृतक द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा विधिक प्रतिनिधित्वों पर अथवा मृतक के कानूनी वारिसों/दावेदारों को चुकायी जाती हैं तब शाखा प्रबन्धक/शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत समुचित सम्बन्धित पासबुक में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि किस विशेष दस्तावेज के विरुद्ध भुगतान किया गया है।
- ऐसे खातों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण इन खातों को बन्द करते समय नामे वाउचरों में भी लिखे जायेंगे।
- दावेदार/दावेदारों, जिनको भुगतान किया गया हो, शाखा में खाता खोलने का अनुरोध कर खाता खुलवाने के हर सम्भव प्रयास किए जायेंगे।
- शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने विवेकाधिकार से अधिक राशि के दावा प्रस्तावों को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेशित किया जायेगा। प्रस्ताव प्रेशित करते समय दावा फार्म तथा अन्य सभी वांछित दस्तावेज दो प्रतियों में (मूल प्रति तथा शाखा प्रबन्धक की मोहर के साथ सत्यापित प्रति) प्रेशित किये जायेंगे। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मूल प्रति को संस्वीकृति के साथ वापस लौटायेगा तथा उसकी एक प्रति रिकार्ड में रखेगा।

मृतक के खातों पर ब्याज का भुगतान हेतु निम्न नियम लागू होंगे :-

1. व्यक्तियों और एकल स्वामित्व वाली फर्मों के मृत चालू और नकद उधार खातों के मामलों में व्यक्ति की/एकमात्र स्वामी की मृत्यु की तारीख से कानूनी वारिसों को भुगतान की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जायेगा।



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

- बचत बैंक खातों के मामलों में खाताधारक की मृत्यु की तारीख से दावे के निपटान तक बचत बैंक नियमानुसार सामान्य ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

3. मियादी जमा के मामलों में-

यदि अवशेष राशि किसी मृतक जमाकर्ता अथवा दो या उससे अधिक जमाकर्ताओं के नाम हो और सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज का भुगतान निम्न विधि से किया जायेगा :-

परिपक्षता तिथि के पूर्व भुगतान करने की स्थिति में :-

- खाता धारक की मृत्यु परिपक्षता की तिथि के पूर्व हो जाने की स्थिति में यदि जमाराशि के भुगतान की मांग परिपक्षता तिथि से पूर्व की जाती है तो इस स्थिति में शाखाएं बिना कोई दण्ड ब्याज लगाए (जिस अवधि तक जमा राशि बैंक के पास विद्यमान रही है) उस अवधि हेतु सावधि जमा करते समय लागू दर से ब्याज का भुगतान करेंगी।
- यदि दावेदार/दावेदारों द्वारा बैंक मियादी जमा राशि को विभाजित करने का अनुरोध किया जाता है तो शाखाएं दावेदारों के नाम पर व्यक्तिगत रूप से दो या उससे अधिक (जैसा अनुरोध हो) जमा रसीदें जारी कर सकता है किन्तु यदि उसकी परिपक्षता दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसको समय पूर्व आहरण नहीं माना जायेगा।

परिपक्षता तिथि के बाद भुगतान की स्थिति में :-

- यदि सावधि जमा का नवीनीकरण कर दिया गया है तो नवीनीकृत परिपक्षता तिथि से भुगतान तिथि तक की अवधि हेतु साधारण दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
- यदि कानूनी वारिस/दावेदार परिपक्षता तारीख के पश्चात दावे के निपटान पर जमाराशि का नवीनीकरण करना चाहते हैं तो दावे का निपटान पहले जमाराशि को नवीकृत माने बिना परिपक्षता की तारीख से निपटान की तारीख तक की अवधि हेतु परिपक्षता की तारीख के समय लागू साधारण ब्याज दर पर किया जायेगा। निपटान की तारीख को प्राप्त राशि को कानूनी वारिस, जो अब जमाकर्ता बन जाता है, द्वारा किसी भी जमा योजना के अन्तर्गत नयी जमाराशि के रूप में नवीकृत/रखा जा सकता है।

शाखा स्तर पर की जाने वाली अनुश्रवण कार्यवाही एवं दावा निस्तारण हेतु समय सीमा सारणी

- शाखायें अपने कार्यालय में पोस्टर/सूचना प्रदर्शित करेंगी कि उनकी शाखा पर मृतक खाते के दावे अधिकतम 15 दिन के भीतर निस्तारित किये जायेंगे, जिसके लिए वे सीधे शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें।
- शाखाये मृतक दावा रजिस्टर के कुछ पन्ने अग्रांकित विवरण हेतु आरक्षित रखते हुए निम्न विवरण का अंकन करेंगी-
 - (अ) मृतक के दावेदार की प्रथम सूचना/सम्पर्क तिथि सम्बन्धित खाते/खातों का विवरण मृतक का नाम सम्पर्क करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मृतक से सम्बन्ध।
 - (ब) द्वितीय सम्पर्क में मृत्यु प्रमाण पत्र, पासबुक/जमापत्र तथा वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर बैंक द्वारा दावेदार को अन्य कागजात प्रदान करने की सूची की तिथि (दावा प्रपत्र के साथ अन्य आवश्यक प्रपत्र-जमानतदार, गवाह एवं श्योरिटीज सम्बन्धी) प्रदान करने की तिथि।
 - (स) सम्पूर्ण दावा प्रपत्र प्राप्त होने, स्वीकृति/निस्तारण अथवा स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को भेजने की तिथि।
- शाखा प्रबन्धक/नामित अधिकारी प्रथम रूप से सूचना देने वाले से मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित खातों पर खातेदार मृतक (सूचना प्राप्त) का अंकन कर भुगतान रोके तथा दावेदार को मृत्यु प्रमाण पत्र (समक्ष अधिकारी) से वारिस प्रमाण पत्र की नकल तथा जमा खातों की

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

पासबुक/रसीद लाने हेतु आग्रह करेंगे।

04. वारिस प्रमाण पत्र, पास बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही शाखा प्रबन्धक नामित खाते/प्रथम अथवा उत्तरजीवी खाता अथवा इसी प्रकार के निर्देश वाले खाते/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वाले खाते/क्षतिपूर्ति बांड के अनुसार भुगतान किये जाने वाले खाते के अनुसार आवश्यक कागजात, दावेदारों, गवाहों तथा श्योरटीज की आवश्यकता की सूची/लिखित प्रपत्र दावेदार को प्रदान कर उसकी प्रति प्राप्ति सहित शाखा पर रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण विवरण का अंकन अपने रजिस्टर में करेंगे।
05. शाखा के दावेदार अनपढ़/कम पढ़े लिखे होने पर शाखा प्रबन्धक आवश्यक कागजात प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात उनके दावा फार्म को भरने/पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा दावा पत्र स्वयं निस्तारित करेंगे अथवा स्वीकृत हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
06. क्षेत्रीय कार्यालय दावेदारों को प्रदान की जाने वाली कागजातों की सूची, पोस्टर/बैनर आदि शाखाओं को उपलब्ध करायेंगे।

पॉलिसी की आवधिकता : नीति माननीय निदेशक मंडल के दिशा-निर्देशों / आंतरिक आवश्यकताओं में परिवर्तन के अधीन होगी जिसे समय-समय पर जारी नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। यह नीति आगामी तीन वर्ष या आगामी बोर्ड अनुमोदन तक लागू रहेगी।



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

शाखा—.....

क्षेत्र—.....

(मृतक की परिसम्पत्तियों हेतु दावा)

खातेदार/लाकरधारक (मृतक) का नाम:.....

पिता का नाम:.....

पता:.....

दावेदार/रों के नाम:.....

श्योरिटीज के नाम 1.....

2.....



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

(मृतक की परिसम्पत्तियों हेतु दावा)

शाखा प्रबन्धक,

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

शाखा :

जनपद-.....

प्रिय महोदय,

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कु0 के भुगतान/शेष राशि की
सुपुर्दगी/संपदा की परिसम्पत्तियों हेतु दावा।

01. की परिसम्पत्तियों के मामले में (मृतक

जमाकर्ता/लाकरधारक का पूरा नाम)

02. (क) पूरा निवास पता :

(ख) व्यवसाय : (ग) उम्र :

(घ) कानून, जिससे मृतक शासित था : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956/भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,
मुस्लिम कानून/अन्य

03. मृत्यु की तारीख : प्रमाण *

(* सबूत जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र/मृत्यु रजिस्टर का प्रमाणित उद्धरण संलग्न करें)

04. (क) दावा की गयी राशि और/या प्रतिभूतियों का विवरण

क्र सं	जमा/प्रतिभूतियों का स्वरूप		प्रतिभूतियों की राशि / मूल्य #		परिपक्वता की तारीख	टिप्पणियां
	जमा प्रतिभूतियों का प्रकार	खाता नं० रसीद नं०	रु०	पै०		
1						
2						
3						

मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी मूल्यांकन प्रमाणपत्र संलग्न करें।

(ख) जिनके पेटे बकाया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयताएं हैं :-

क्र सं	देयता का स्वरूप	खाता संख्या	देयता की राशि	टिप्पणियां
1				



प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ - 226010
Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010
email- ho@barodauprrb.co.in

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

2				
3				

नोट : यदि खाता और/या जमा राशि संयुक्त नामों में हो तो भुगतान के सम्बन्ध में सभी संयुक्त खातेदारों के नाम और शर्त, यदि हों।

05. (क) दावेदारों के नाम :

क्र० सं०	नाम	व्यवसाय और पता	आयु	मृतक के साथ सम्बन्ध
1				
2				
3				
4				
5				

(ख) उत्तरजीवियों का विवरण :

क्र० सं०	नाम	व्यवसाय और पता	आयु	मृतक के साथ सम्बन्ध
1				
2				
3				
4				
5				

(संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में भाइयों/बहिनों के नाम दिए जाएं।)

06. (क) क्या जमा रसीदें/पासबुक (दावा राशि से संबंधित)/लाकर की चाबी दावेदारों के पास है ? हाँ/नहीं
यदि नहीं, तो कहां है ?

(ख) जमा रसीदें/बचत बैंक पासबुक/चाबियों आदि के बौरे प्रस्तुत करें।

07. (क) क्या मृतक ने कोई वसीयत छोड़ी है ? हाँ/नहीं

(संक्षेप में तथ्य बताएं)

(ख) क्या कोई प्रोबेट/प्रशासन पत्र या मृतक की संपदा के विषय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है (कृपया संक्षेप में तथ्य बताएं) हाँ/नहीं

08. (क) क्या मृतक संयुक्त हिन्दू परिवार से सम्बन्धित था ? हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो परिवार के बालिग सदस्य कौन है ?

क्र० सं०	नाम	व्यवसाय और पता	आयु	मृतक के साथ सम्बन्ध
1				



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

2				
3				
4				
5				

- (ग) क्या दावा की गयी सम्पत्ति स्वयं अर्जित की गयी है ?
 (घ) दावेदारों के हक का सबूत (संदर्भ के लिए मूल प्रलेख प्रस्तुत करें)
 09. क्या दावेदार भविष्य में उठने वाले प्रतिकूल दावों के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करने हेतु तैयार है ?
 यदि हाँ, तो श्योरिटीज, जो बांड निष्पादन में शामिल होंगे, के नाम, पता, व्यवसाय और साख दें :

1. नाम.....	2. नाम.....
पता.....	पता.....
.....
व्यवसाय.....	व्यवसाय.....
अनुमानित हैसियत रु0.....	अनुमानित हैसियत रु0.....

वार्षिक आय :

अचल सम्पत्ति का मूल्य :

- क. सम्पत्ति कहाँ है ?
 ख. क्या सम्पत्ति अपने नाम/संयुक्त नामों में है ?
 ग. क्या सम्पत्ति
 - ऋण भारग्रस्त है
 - ऋण भारग्रस्त नहीं है
 - आंशिक रूप से ऋण भारग्रस्त है

नोट : (यदि प्रोबेट और/या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है)

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त नाम के मृतक की सम्पदा के सम्बन्ध में बैंक को अपने/हमारे उक्त दावे के सम्बन्ध में आवश्यक व्यौरे प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मैं/हम इस सम्बन्ध में अन्य/अतिरिक्त सूचना संज्ञान में आने/माँगे जाने पर बैंक को प्रस्तुत करूँगा/करेंगे। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत उक्त व्यौरे मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और सहमत होते हैं कि मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथक रूप से किसी भौतिक तथ्य को गलत ढंग से पेश करने या दबाने के लिए जिम्मेदार होऊँगा/होंगे और मेरे/हमारे द्वारा यहाँ क्लेम किए हिस्से/धन के सम्बन्ध में या मृतक के उक्त अधिकारों पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए दावों या किसी मांग के लिए आपकी (बैंक की) क्षतिपूर्ति करेंगे।

स्थान :.....

दावेदार/रों के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

1.

4.

2.

5.

3.



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

दावा फार्म भरने हेतु अनुदेश

- सभी कालम विशिष्ट उत्तरों के साथ भरने चाहिए।
- फार्म मृतक के सभी दावेदारों/वारिसों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- यदि नाबालिंग वारिस/दावेदार हो, तो उनका प्रतिनिधित्व उनके अभिभावकों द्वारा किया जाए।
- अन्य दावेदारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र एवं श्योरिटीज पत्र, जिसमें दावेदारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे की सच्चाई प्रमाणित हो, दावा फार्म के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

कार्यालय प्रयोग हेतु

शाखा प्रबन्धक हेतु

हमने दावेदार श्री/श्रीमती/कु0.....द्वारा दावा फार्म में दिए गए ब्यौरों की जांच कर ली है और सिफारिश करते हैं कि मृतक श्री/श्रीमती.....के खाते की शेष राशि को श्री.....तथा श्योरिटीज द्वारा हस्ताक्षरित स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति पत्र के पेटे अदा की जाएं।

जमानतदार :

-
 -
- खाते में शेष राशि रु0.....
+ ब्याज रु0.....
= कुल राशि रु0.....

सिफारिश की गयी

अदायगी हेतु प्राधिकृत

विभाग प्रभारी

शाखा प्रबन्धक

दिनांक :

नोट : यदि शेष राशि की अदायगी शाखा के विवेकाधिकारों के भीतर है तो वे प्राधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करें।

क्षेत्रीय कार्यालय के प्रयोग हेतु

हम दो श्योरिटीज एवं शाखा की सिफारिश के अनुसार इसके द्वारा आपको दावेदारों श्री/श्रीमती/कु0.....द्वारा हस्ताक्षरित सामान्य स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति पत्र के पेटे मृतक श्री/श्रीमती/कु0.....की शेष राशि रु0.....जमा ब्याज रु0.....कुल रु0.....श्री/श्रीमती/कु0.....को अदा करने हेतु प्राधिकृत करते हैं। दो जमानतदार :

(1).....

(2).....

दिनांक :

नोट :-उपरोक्त प्रारूप लाकर के मामले में भी लागू।

वरिप्रबन्धक/मुख्यप्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

(रु 100.00 के स्टैम्प पेपर पर)

क्षतिपूर्ति पत्र

मृत व्यक्तियों के जमा खातों में शेष राशि की अदायगी के बारे में
(करार अनुसार इस पर स्टाम्प लगाये)

शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

शाखा :.....
जनपद

चूंकि श्री/सुश्री/श्रीमती.....(मृत व्यक्ति का नाम).....
(मृतक का पता) की मृत्यु के समय उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंकशाखा (जिसे इसके बाद "उक्त बैंक"
कहा गया है) में उक्त मृतक के.....खाते (खाते का प्रकार) में रूपये.....(मृत्यु की तारीख
को खाते का जमाशेष) जमा थे, जो तारीख.....(अदायगी की तारीख) तक ब्याज सहित रूपये.....
.....(अब अदा की जाने वाली राशि) होते हैं।

और चूंकि.....(अदायगी का दावा प्रस्तुत करने
वाले व्यक्तियों के नाम).....(उनके पते)
(जिसे/जिन्हें इसके बाद उक्त दावेदार कहा गया है)

और.....उक्त दावेदार/दावेदारों ने उक्त बैंक को उक्त राशि उहें अदा करने का अभिवेदन
दिया है और तदनुसार उक्त दावेदार/दावेदारों की उक्त राशि की अदायगी करने के लिए उक्त बैंक से अनुरोध किया है।

और चूंकि उक्त दावेदार/दावेदारों और श्री/सुश्री/श्रीमती.....
.....(श्योरिटीज के नाम).....

(श्योरिटीज के पते) ऐसी अदायगी के बारे में उक्त बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

अब पूर्वकथित तथ्यों के परिणामस्वरूप हम.....
.....(दावेदार/दावेदारों के नाम) और.....

(श्योरिटीज के नाम) अपने और अपने सम्बन्धित वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त और पृथक रूप से इस बात
के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं कि उक्त बैंक, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशीती तथा इसके प्रबन्धक, एजेंट, अधिकारी
और कर्मचारी एवं उनकी सम्बन्धित सम्पदाएं और सम्पत्ति समय-समय पर सुरक्षित हैं और इसके बाद भी सुरक्षित रहेंगे तथा उक्त
भुगतान के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही, हानि, लागत, प्रभार, व्यय और मार्गों से सुरक्षित रखेंगे और
क्षतिपूरित करेंगे।

भव दी य,

.....
.....
(दावेदार/दावेदारों और श्योरिटीज के हस्ताक्षर)



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

(रु 10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटेरियल)

(सहमति पत्र)

(अन्य दावेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

प्रेषक :

शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

शाखा :

जनपद -

प्रिय महोदय,

विषय : स्वर्गीय श्री..... नाम के खाते में शेष राशि हेतु दाव।

मैं/हम यह सहमति पत्र लिखते हुए आपको सूचित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे.....(सम्बन्ध लिखें)

श्री/श्रीमती.....दिनांक.....को गुजर गए थे। इनके वारिस
निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	नाम	आयु	मृतक के साथ सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			
5			

उक्त जमा खाते से कलेम की गयी राशि मृतक की सम्पत्ति का हिस्सा है। मैं/हम भी उनकी सम्पत्ति में हिस्सा पाने का/के हकदार हूं/हैं।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि खातों की सारी जमाराशि मेरे/हमारे.....(सम्बन्ध) श्री/श्रीमती.....को अदा कर दी जाए।

अतः मैं/हम उनके खातों की शेष राशि श्री.....को अदा किए जाने हेतु अपनी सहमति देता हूं/देते हैं। मैं/हम यह भी बयान देता हूं/देते हैं कि उक्त खातों/जमा राशियों के सम्बन्ध में श्री/श्रीमती.....द्वारा दिया गया उन्मोचन (डिस्चार्ज) उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे यह मुझे/हमें दिया गया हो और मुझे/हमें बाध्यकारी होगा।

भवदीय

स्थान :

दिनांक:

(.....)



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

रु0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर)

श्योरिटीज पत्र

प्रेषक :

शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

शाखा :
जनपद :

विषय : स्वर्गीय श्री..... नाम के खाते में शेष राशि हेतु दावा।
मैं/हम पिछले..... वर्षों से स्वर्गीय श्री/श्रीमती..... और उनके परिवार
के सदस्यों को जानता हूँ/जानते हैं, वह दिनांक..... को गुजर गए थे। उनके वारिसों के
नाम नीचे दिए गये हैं :-

क्रम संख्या	नाम	आयु	मृतक के साथ सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			
5			

मैंने/हमने इस पत्र के साथ संलग्न कलेम फार्म का अध्ययन किया है और मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि
दावा फार्म में दिए गए ब्यौरे मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार सत्य और सही हैं।

भवदीय

श्योरिटीज 1. हस्ताक्षर..... 2.हस्ताक्षर.....
नाम नाम
पता पता

स्थान :

दिनांक :



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

(मृतक दावा हेतु श्योरिटीज की साख रिपोर्ट)

शाखा.....

क्षेत्र

विवरण	श्योरिटीज (1)	श्योरिटीज (2)
नाम		
पिता / पति		
आयु		
पता ग्राम / म0नं०		
पोस्ट / मुहल्ला		
जनपद		
व्यवसाय		
चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	मात्रा / क्षेत्रफल	अनुमानित कीमत लाख में
कृषि योग्य भूमि		
भवन		
मशीनरी – परिवहन वाहन, ट्रैक्टर आदि		
अन्य (विवरण दें)		
योग		
देयताएं	संस्था का नाम जिसके प्रति देनदारी हो	धनराशि
1- बैंक ऋण		
2- अन्य		
बैंक में जमा खातों का विवरण	खाता सं०	धनराशि
अपने बैंक में		
अन्य बैंक में		

(नोट- एक लाख से अधिक के दावा भुगतान में प्रमाण के रूप में आस्तियां / मशीनरी/वाहन आदि के प्रपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण व सत्य है इनमें न तो कुछ झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है।

हस्ताक्षर श्योरिटीज

(1)

(2)

नाम श्योरिटीज

.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

का०क०सं०.....

मुहर

प्रमणकर्ता अधिकारी

का०क०सं०.....



प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सेंशन, लखनऊ - 226010
Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010
email- ho@barodauprb.co.in

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

शाखा.....

(मृतक दावा हेतु दावेदारों की साख रिपोर्ट)

क्षेत्र

विवरण	दावेदार(1)	दावेदार(2)		दावेदार(3)	
नाम					
पिता / पति					
आयु					
पता ग्राम / म0नं0					
पोस्ट / मुहल्ला					
जनपद					
व्यवसाय					
चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	मात्रा / क्षेत्रफल	अनुमानित कीमत लाख में	मात्रा / क्षेत्रफल	अनुमानित कीमत लाख में	मात्रा / क्षेत्रफल
कृषि योग्य भूमि					
भवन					
मशीनरी – परिवहन वाहन, ट्रैक्टर आदि					
अन्य (विवरण दें)					
योग					
देयताएं	संस्था का नाम जिसके प्रति देनदारी हो	धनराशि	संस्था का नाम जिसके प्रति देनदारी हो	धनराशि	संस्था का नाम जिसके प्रति देनदारी हो
1- बैंक ऋण					
2- अन्य					
बैंक में जमा खातों का विवरण	खाता सं0	धनराशि	खाता सं0	धनराशि	खाता सं0
अपने बैंक में					
अन्य बैंक में					

(नोट- एक लाख से अधिक के दावा भुगतान में प्रमाण के रूप में आस्तियां / मशीनरी/वाहन आदि के प्रपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण व सत्य है इनमें न तो कुछ झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है।

हस्ताक्षर दावेदार (1)

(2)

(3)

नाम दावेदार

दिनांक:.....

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

का०क००सं0.....

मुहर

प्रमणकर्ता अधिकारी

का०क००सं0.....



प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमरिंगल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ - 226010
Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010
email- ho@barodaaprrb.co.in

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

शाखा -

क्षेत्र -

अधिकारी/शाखा प्रबन्धक की स्थलीय भ्रमण आव्याह

- मैंने मृतक स्व0.....पुत्र/पत्नी श्री..... के दावा भुगतान प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण कर दावेदारों/वारिसों तथा श्योरिटीज के द्वारा दी गयी सूचनाएं एवं उनके केऽवाई०सी० दस्तावेजों की सत्यता की जॉच कर लिया है जो दावा फार्म में दिये गये विवरण के अनुरूप सही व सत्य पाये गये हैं। विवरण निम्नवत है-
- 1- भ्रमण की तिथि.....
 - 2- पता ग्राम.....पोस्ट.....जिला.....
 - 3- मृत्यु तिथि.....खाता सं0.....दावा राशि.....
 - 4- वारिस/उत्तराधिकारी

क्रम सं0	नाम	उम्र	पिता/पति	मृतक से सम्बन्ध
1				
2				
3				
4				
5				
6				

5- उपरोक्त के अतिरिक्त मृतक का अन्य कोई भी वारिस/पुत्र व पुत्री (विवाहित/अविवाहित) नहीं है।

6- दावा का आधार- उत्तराधिकारी/नामिनी/क्षतिपूर्ति बाण्ड/उत्तराधिकार (न्यायालीय)/अन्य।

7-दावेदारों/श्योरिटीज के नाम एवं केऽवाई०सी० प्रमाण के रूप में प्राप्त किए गये दस्तावेज में दिए गये नाम सम्बन्धित व्यक्ति के ही हैं।

उक्त दावा प्रस्ताव मृत्यु प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बाण्ड, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, श्योरिटीज पत्र, सहमति पत्र आदि के पेटे मृतक के खाते की धनराशि श्री/श्रीमती.....को भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(.....)

अधिकारी/ शाखा प्रबन्धक

क०क०सं0.....




उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

दावेदारों/श्योरिटीज के फोटो, हस्ताक्षर एवं विवरण के सत्यापन का प्रमाण-पत्र

एतदद्वारा निम्नलिखित दावेदारों/श्योरिटीज के फोटो, हस्ताक्षर एवं उसके नीचे अंकित विवरण प्रमाणित किया जाता है:-

दावेदार-




नाम:.....

पिता/पति का नाम.....

संबंध.....

हस्ताक्षर.....




नाम:.....

पिता/पति का नाम.....

संबंध.....

हस्ताक्षर.....




नाम:.....

पिता/पति का नाम.....

संबंध.....

हस्ताक्षर.....




नाम:.....

पिता/पति का नाम.....

संबंध.....

हस्ताक्षर.....




नाम:.....

पिता/पति का नाम.....

संबंध.....

हस्ताक्षर.....




नाम:.....

पिता/पति का नाम.....


संबंध.....

हस्ताक्षर.....


श्योरिटीज-



नाम:.....



नाम:.....



नाम:.....



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

पिता/पति का नाम.....
गांव.....

पिता/पति का नाम.....
गांव.....

पिता/पति का नाम.....
गांव.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

जाँच सूची (Check List):-

1. दावा फार्म।
2. क्षतिपूर्ति-पत्र (₹.100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
3. सहमति-पत्र (₹.10/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, नोटरी हलफनामा के रूप में)
4. श्योरिटीज-पत्र (₹.10/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र।
7. मूल जमा रसीद/पास बुक/चाबियाँ (जो भी लागू हो)
8. सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विधिक प्रतिनिधित्व/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र। (जहाँ लागू हो)
9. बैंक अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रतिनिधित्व/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र की जाँच (Verification) रिपोर्ट। (जहाँ लागू हो)
10. दावेदारों/श्योरिटीज की साथ रिपोर्ट। (साथ की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज आदि)
11. अधिकारी/शाखा प्रबंधक की स्थलीय भ्रमण आख्या।
12. अशिक्षित दावेदारों/श्योरिटीज की स्थिति में पुष्टि प्रमाण पत्र।
13. दावेदारों/श्योरिटीज के पहचान (केंवाई०सी०) प्रमाण पत्र/फोटोयुक्त पहचान पत्र/निवास स्थान की पुष्टि हेतु दस्तावेज।
14. दावेदारों/श्योरिटीज की प्रमाणित फोटो।
15. स्टाम्पयुक्त रसीद। (Revenue Receipt)



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मृतक दावे के लिए आवेदन
(खाते में नामांकन होने पर)

प्रेषक :

.....
.....
.....

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

..... शाखा

क्षेत्रीय कार्यालय :

प्रिय महोदय,

विषय: मृतक खाता स्वर्गीय श्री/श्रीमती खाता संख्या (संख्याएँ)

मैं/हम सूचित करते हैं कि श्री/श्रीमती/सुश्री की मृत्यु दिनांक को हो गई है।
वह आपकी शाखा में उपरोक्त खाते के खाताधारक थे।

खाता निश्चलिखित के नाम पर है:

नामांकन के मामले में:

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्री/पति श्री/श्रीमती/कु का निवासी हूँ तथा-
पता

(i) उपरोक्त खाते(खातों) में पंजीकृत नामिती हूँ अथवा

(ii) मास्टर/मिस की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति जो
उपरोक्त खाते(खातों) में नामिती है और दावे की तिथि पर नाबालिग है।

कृपया नामांकित व्यक्ति के नाम से खाते में शेष राशि का भुगतान/निपटारा करें। मैं/हम मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के
द्रस्टी के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं।

स्थान:

भवदीय,

दिनांक:

{दावाकर्ता(ओं)}

गवाह (*)

- 1) मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी या
- 2) केंद्र या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या
- 3) बैंक अधिकारी या
- 4) बैंक को स्वीकार्य दो व्यक्ति

गवाह 1 नाम: पता: हस्ताक्षर :	गवाह 2 नाम: पता: हस्ताक्षर :
--	--



प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ - 226010
Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010
email- ho@barodauprrb.co.in